न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :–172 / 2016 दायर तारीख 11.11.2016

अनवान

01. छोगालाल पिता काना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. कमला पिता काना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. मन्जु पुत्री काना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. मोहनी पत्नि काना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
05. छीतर पुत्र काना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. भैरूलाल पिता पन्नालाल जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
02. मुकेश पिता पन्नालाल जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
03. चादमल पिता पन्नालाल जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
04. बदाम पत्नि पन्नालाल जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
05. मांगीलाल पिता प्यारा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
06. देऊ पत्नि प्यारा जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
07. काली पुत्री प्यारा पत्नि पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी सलावटियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
08. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा।

.....अप्रार्थीगण / विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. सुनील बाकलीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 21 / 09 / 2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बिजौलियं खुर्द पटवार हल्का बिजौलिया में स्थित आराजी नं0 1650 रकबा 5–01 बीघा पर आम रास्ता जो कि विपक्षीगण क्रमांक 1 से 4 की खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नं0 1655 के पूर्वी दिशा में स्थित है। उससे खसरा न0 166

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

की दक्षिणी मैर पर प्रवेश कर दक्षिणी मेर आगे बढते हुये खसरा न0 1655 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक पहुंचते है। विपक्षीगण क्रमांक 1 से 4 तक ने अपनी खाते में दर्ज भूमि खसरा न0 1655 की दक्षिणी तरफ की भूमि का 12 फीट चौड़ाई का रास्ता छोड़कर अपनी खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में पत्थर की दीवार लगा रखी है अर्थात स्पष्ट करने का आशय यह है कि खसरा न0 1655 वाले खातेदारों ने 12 फीट चौडा रास्ता अपनी भूमि से छोड़कर शेष बचे रकबे की भूमि से स्वेच्छा से दिवार लगा रखी है इसलिए प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 4 के बीच रास्ते का विवाद नही हैं। आराजी न0 1655 के बाद पश्चिमी दिशा की ओर खसरा न0 1655 की दक्षिणी मेर जहां समाप्त होती है वही से विपक्षीगण क्रमांक 5 से 7 की खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा न0 1956/1650 प्रारम्भ होती है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिए विपक्षी संख्या 5 से 7 तक की खातेदारी भूमि में प्रवेश कर खसरा न0 1956/1650 की पूर्वी मेर पर होते हुये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की दक्षिणी कौने से खसरा न0 1650 में प्रवेश करते है। खसरा न0 1956/1650 की पूर्वी मेर पर प्रार्थीगण का 12 फीट चौड़ा रास्ता स्थित हैं इसी का उपयोग प्रार्थीगण उससे पूर्व उनके पूर्वज पूर्व खातेदार करते रहे। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं इस रास्ते से प्रार्थीगण पैदल आने जाने के अतिरिक्त सजबैल टेक्टर आदि लेकर आते जाते हैं। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रभावी खातेदार जिनकी भूमि रास्ते हेतु उपयोग में ली जा रही है तय की जाने वाली मुआवजा राशि भुगतान को तैयार हैं।

उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु टेक्टर बैलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को स्वयं की आराजी पर पहुंचन हेतु रास्ता राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना फरमावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलवी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

उक्त प्रकरण में विकल्प में रास्ता है या नही इस सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय बिजौलियां से तलब की गई ।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2019/1166 दिनांक 19.08.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द के आराजी नं0 1650 रकबा 5–01 बीघा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की मांग की हैं।

ग्राम बिजौलियां खुर्द के आराजी न0 1650 राजस्व रेकॉर्ड में छीतर, छोगालाल, कमला, मंजु पिता काना मोहनी पत्नी काना धाकड़ निवासी बिजौलियां खुर्द के नाम दर्ज रेकॉर्ड आराजी नं0 1650 में पहुंचने हेतु बिलानाम गे.मू. रास्ता से आराजी नं0 1655 व 1956/1650 में से होते हुऐं वादी की खातेदारी भूमि आराजी न0 1650 तक पहुंचता हैं। मौके पर आराजी न0 1655 के दक्षिणी मेड पर रास्ता 12 फीट छोड रखा है। आराजी न0 1655 रकबा 6–05 बीघा भूमि भैरूलाल, मुकेश, चान्दमल पिता पन्ना, बदाम बेवा पन्ना कुम्हार सा. थडोदा के नाम दर्ज हैं। जिससे 12 फीट रास्ता छोडने पर 0–04 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। इसी प्रकार आ0न0 1956/1650 रकबा 5–01 बीघा भूमि के पूर्व दिशा में से वादी के आराजी पर पहुंचने हेतु 12 फीट रास्ता उपयोग में आने पर 0–04 बीघा भूमि उपयोग में आ रही है। जो वर्तमान में सीतादेवी पत्नी पन्नालाल धाकड़ सा. फतहनगर के नाम दर्ज है। मौके पर आ0न0 1650 पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं।

आराजी नं0 1655 में से 0–04 बीघा एवं आराजी नं0 1956/1650 में से 0–04 बीघा कुल किता 2 रकबा 0–08 बीघा भूमि की रास्ते के लिए आवश्यकता होने से वर्तमान डी0एल0सी0 दर 100624/– रूपये प्रति बीघा से भूमि की कीमत 40248/– का दुगुना से 80496/– रूपये राशि बनती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। तथा उसकी नियमानुसार डीएलसी दर से राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रभावी खातेदार जिनकी भूमि रास्ते हेतु उपयोग में ली जा रही है तय की जाने वाली मुआवजा राशि भुगतान के लिये अपनी सहमति दी है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को स्वयं के खाते की भूमि आराजी न0 1650 पर पहुचने के लिये ग्राम बिजौलियां खुर्द की आराजी न0 1655 रकबा 6–05 बीघा में से 0–04 बीघा भूमि एवं आ0न0 1956/1650 रकबा 5–01 बीघा भूमि के पूर्व दिशा में से वादी के आराजी पर पहुंचने हेतु 12 फीट रास्ता उपयोग में आने पर 0–04 बीघा भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

आराजी नं0 1655 में से 0–04 बीघा एवं आराजी नं0 1956/1650 में से 0–04 बीघा कुल **किता 2 रकबा 0–08 बीघा भूमि** की रास्ते के लिए आवश्यकता होने से वर्तमान डी0एल0सी0 दर 100624/– रूपये प्रति बीघा से भूमि की कीमत 40248/– का दुगुना से 80496/– रूपये राशि बनती हैं। उक्तानुसार राशि विपक्षीगणों को भुगतान किये जाने पर रास्ता राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को पालना प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/08/2019 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

Scanned by CamScanner